

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पंजीकरण संख्या - 2095/2022

तारीख दायर 25.5.2022

मामीलाल पिता दोला जाति बलाई, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियों खुर्द तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

- 1 रामनाथ पुत्र छोगालाल जाति गीणा, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियों खुर्द तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 2 काना पुत्र देबीलाल जाति कुम्हार, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियों खुर्द तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 3- शांति देवी पत्नि रमेशचन्द्र जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी बिजौलियों खुर्द तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 4- भवरी बाई पत्नि स्व0 जगन्नाथ जाति बलाई निवासी बिजौलियों खुर्द तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 5- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियों तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

-आदेश:-

दिनांक 25.5.2022

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री मांगीलाल बलाई ने जरिये अभिभाषक श्री सुमित जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम बिजौलियों खुर्द, पटवार क्षेत्र बिजौलियों खुर्द, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियों खुर्द, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 861 आराजी नंबर 46 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भुमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की तार्द में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2075-2078 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम बिजौलियों खुर्द, पटवार क्षेत्र बिजौलियों खुर्द, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियों खुर्द, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 861 आराजी नंबर 46 रकबा 0.3966 हैक्टेयर भुमि की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जाये।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियों